



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 269 राँची, गुरुवार,

11 मई, 2023 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

अधिसूचना

8 मई, 2023

संख्या-04/क०नि०/विविध/SLCPSC/20/2023/क०-- 1143 दिनांक-08.05.2023 सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-13-17/2023-PC दिनांक-12.04.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के आलोक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) अन्तर्गत संचालित विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं यथा- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्यूरिटी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर आदि की स्वीकृति हेतु पूर्व से अलग-अलग गठित समितियों से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं/आदेशों को विलोपित करते हुए सभी योजनाओं के लिए एकल समिति- State Level Steering Committee (SLSC) का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1	मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य
7	कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची	सदस्य
8	प्रतिनिधि, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, काँके, राँची	सदस्य
9	प्रतिनिधि, बागवानी एवं कृषि शोध कार्यक्रम, प्लांडू, राँची	सदस्य
10	प्रतिनिधि, राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान, नामकुम, राँची	सदस्य
11	समन्वयक, SLBC	सदस्य
12	नाबार्ड, राँची के प्रतिनिधि	सदस्य
13	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य

- संचालित योजनाओं का उक्त गठित समिति की बैठक में वार्षिक कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण संबंधित निदेशालय के प्रभारी निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं वे उपरोक्त समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
- उक्त गठित समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना पर भारत सरकार से प्राप्त मंतव्य को दृष्टिपथ में रखते हुए योजनाओं के वार्षिक कार्य योजना पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०,
सरकार के सचिव।
